न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3754–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–9–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 404/2010–11/अपील.

नारायण पिता गंगाराम पाटीदार
निवासी ग्राम जोतपुर
तहसील मनावर जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– गोदावरी बाई पिता लीमजी
पत्नी गंगाराम पाटीदार
निवासी कोसवाडा हाल मुकाम जोतपुर
तहसील मनावर जिला धार

2– रामेश्वर पिता गावल्या पाटीदार
निवासी ग्राम जोतपुर
तहसील मनावर जिला धार ....अनावेदकगण

श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री कैलाश पाटीदार, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 24 फरवरी, 2015)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश 28–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत तहसीलदार, मनावर जिला धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उरदना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 64/1/2 रकबा 6.688 हेक्टेयर अनावेदिका क्रमांक 1 गोदावरी बाई के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है एवं ग्राम उरदना ही स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 64/1/1/3 रकबा 0.418 हेक्टेयर भी गोदावरी के नाम राजस्व

अभिलेखों में दर्ज है । आवेदक अनावेदिका कमांक 1 का पुत्र है, और उनके मध्य आपसी बटवारा हो गया है, जिसमें सर्वे कमांक 64/1/2 रकबा 6.688 हेक्टेयर भूमि आवेदक को कब्जे में दी गई है, और सर्वे कमांक 64/1/1/3 रकबा 0.418 हेक्टेयर गोदावरी बाई के हिस्से में आई है । अतः आपसी बटवारा अनुसार सर्वे कमांक 64/1/2 रकबा 6.688 हेक्टेयर से अनावेदिका कमांक 1 गोदावरी बाई का नाम दर्ज कर आवेदक का नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जाये, तद्नुसार बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–27/08–09 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका कमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 52 एवं 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों के सम्बन्ध में द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित है, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, अतः बटवारे की कार्यवाही स्थगित रखी जाये । तत्पश्चात अनावेदिका कमांक 1 द्वारा एक अन्य आवेदन पत्र इस आशय की प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां उसे उसकी माता से प्राप्त हुई हैं, जिसकी वह एकमात्र भूमिस्वामी है, और वह बटवारा नहीं कराना चाहती है । व्यवहार न्यायालय द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमियों का उसे एकमात्र स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी मान लिये जाने के उपरान्त आवेदक अवैध रूप से बटवारा कराना चाहता है । उसके वारिसों में आवेदक के अलावा मोतीलाल, हीरालाल एवं गीताबाई भी है, ऐसी स्थिति में आवेदक को बटवारा कराने का अधिकार नहीं है, और वह बटवारा नहीं चाहती है, जब बटवारा करायेगी तो सभी वारिसों के मध्य करायेगी । अनावेदिका कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के आधार पर तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 8–6–09 को आदेश पारित कर आवेदक का बटवारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मनावर जिला धार के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–1–2010 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार मान्य सिद्धांत के अनुरूप आदेश पारित किया जाये । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के उपरांत तहसीलदार को प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–5–2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों के

सम्बन्ध में बटवारा आदेश पारित करते हुए सर्वे कमांक 64/1/2/2 रकबा 6.270 हेक्टयर भूमि आवेदक को हिस्से में दी गई एवं सर्वे कमांक 64/1/1/3 रकबा 0.418 हेक्टेयर भूमि अनावेदिका कमांक 1 गोदावरी बाई को दी गई । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–5–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 3–5–2010 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–9–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाकर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एवं अनावेदिका कमांक 1 के बीच भूमि का बटवारा पूर्व में हो चुका था, और इसी आधार पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 द्वारा बटवारे में सहमति दी गई है, अतः तहसीलदार द्वारा सहमति से पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य के सहमति को फर्जी मानना अवैधानिक कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत जीतेजी भूमिस्वामी अपनी भूमि का बटवारा करा सकती है ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र में अनावेदिका कमांक 1 गोदावरी बाई के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 1 गोदावरी बाई की मॉ लाड़ोबाई थी, लाड़ोबाई से प्रश्नाधीन भूमियां अनावेदिका कमांक 1 को प्राप्त हुई हैं, जो कि स्त्री धन होकर स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसे अनावेदिका कमांक 1 चाहे तो विक्रय कर

सकती है, उसका बटवारा करा सकती है अथवा वसीयत निष्पादित कर सकती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका कमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट कथन किया गया है कि वह प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा नहीं चाहती है, इसलिए तहसीलदार द्वारा सहमति से बटवारा आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य थी ।

6/ आवेदक एवं अनावेदिका कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत सहखातेदार ही बटवारा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक सहखातेदार नहीं है । संहिता की धारा 178–क के अन्तर्गत भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में वारिसान के मध्य बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 भूमिस्वामी गोदावरी बाई द्वारा बटवारा हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा आदेश पारित करने में विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनेक आवेदन पत्र, शपथ पत्र सहित प्रस्तुत कर बटवारे में घोर आपत्ति की गई है कि प्रश्नाधीन भूमियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लम्बित है, जिसमें आगामी कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये हैं । प्रश्नाधीन भूमियां उसे उसकी माता से प्राप्त हुई हैं, और स्त्री धन होने के नाते वह एकमात्र भूमिस्वामी है । व्यवहार न्यायालय ने भी उसे एकमात्र भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी माना है, अतः आवेदक व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत बटवारा कराना चाहता है । अनावेदिका कमांक 1 गोदावरी बाई के आवेदक नारायण के अतिरिक्त अन्य वारिस हैं, अभी वह भूमि का बटवारा नहीं चाहती हैं, और जब वह बटवारा करायेगी तो सभी वारिसानों के मध्य करायेगी, परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अनावेदिका कमांक 1 गोदावरी बाई द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, और न ही वह न्यायालय में उपस्थित हुई है। ऐसी स्थिति में फर्द बटवारा पर उसके हस्ताक्षर करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, और माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति अनावेदिका कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए बटवारा कार्यवाही स्थगित रखना उचित नहीं है, पारिवारिक बटवारे एवं सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया । इसलिए तहसीलदार का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क तथ्यों के विपरीत है कि तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती, कारण तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 गोदावरी बाई द्वारा अनेक आवेदन पत्र, मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर बटवारे में स्पष्टतः आपत्ति प्रस्तुत की गई है, और बटवारा नहीं कराने के कथन किये गये हैं । इसी कारण तहसीलदार द्वारा पूर्व में आवेदक का बटवारा आवेदन पत्र निरस्त भी किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर